79

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक आर0एन0 5—2/674/1995 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30--06—1995 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी वर्तमान जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 08/अपील/1994—95.

समरथ पुत्र हरप्रसाद लोधी

निवासी ग्राम खैरा तहसील चन्देरी

तत्का0 जिला गुना वर्तमान अशोकनगर

--- आवेदक

विरूद्ध

श्रीलाल (मृतक) पुत्र वृन्दावन लोधी

वरिसान :—

1— श्रीमती अतलबाई पत्नि स्व0 श्रीलाल

2— हरगोविन्द पुत्र श्रीलाल

3— जगदीश सिंह पुत्र श्रीलाल

4— जन्डेल सिंह पुत्र श्री लाल

सभी निवासी ग्राम खेरा तहसील चन्देरी

5— श्रीमती रेखा बाई पुत्री श्रीलाल

पत्नी बादामसिंह ग्राम पिपरा तहसील

खनियांधाना जिला शिवपुरी म0प्र0

--- अनावेदकगण

श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

अनावेदकगणपूर्व से एक पक्षीय है

आदेश

(आज दिनांक 8-12-2016 को पारित)

यह निगरानी मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (अत्र पश्चात् संहिता) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी तत्कालीन जिला गुना वर्तमान जिला अशोकनगर का प्रकरण क्रमांक 8/अपील/94–95 में पारित आदेश दिनांक 30–06–1995 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है आवेदक ने तहसीलदार चन्देरी को आवेदन देकर मांग रखी कि ग्राम खैरा की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 263 रकबा 0.073 हैक्टर में से 0.053 हैक्टर (आगे जिसे वाद ग्रस्त भूमि संबोधित किया गया है) पर उसका 15–20 साल से कब्जा है इसलिये भूमि उसके नाम कर दी जावे। तहसीलदार चन्देरी ने मामला क्रमांक 9/अ–19/1990–91 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 12–6–91 पारित करके वादग्रस्त भूमि आवेदक के खाते में सम्मिलित कर दी। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक (अब मृतक) ने अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी ने मामला कमांक 8/अपील/1994–95 से तहसीलदार चन्देरी का आदेश दिनांक 12–6–91 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये। आवेदक अधिवक्ता ने उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। अनावेदक को रजिस्टर्ड डाक से सूचना भेजी सूचना उपरांत अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्व दिनांक 4–2–2016 को एक पक्षीय किया गया है।

4– आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्को के समय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 चन्देरी जिला गुना द्वारा व्यवहारवाद कमांक 48 ए/06 एवं प्रकरण कमांक 28ए/03 में पारित आदेश दिनांक 5–11–2006 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उभयपक्षों के मध्य समझौता के आधार पर अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत सिविलवाद समाप्त किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया कि अनावेदक प्रकरण में पक्षकार नहीं था इसलिये उसे अपील

का अधिकार नहीं था। न्याया दृष्टांत 1979 आर0 एन0 58 मान0 उच्च न्यायालय भी प्रस्तुत किया गया , यह भी तर्क किया गया कि मुख्य विवाद रास्ते के विषय में का इसी कारण अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। यह भी तर्क किया गया कि सिविल न्यायालय में समझौता के आधार पर उभयपक्ष के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहा है। यह भी तर्क अनुरोध किया गया कि जब उभयपक्ष के मध्य कोई विवाद ही शेष नहीं है तब आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाये।

5– अभिलेख का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर तहसील न्यायालय द्वारा 11–2–91 को प्रकरण दर्ज कर इस्तहार जारी करने का आदेश दिया गया। इश्तहार जारी न होने पर दिनांक 30–4–91 को इश्तहार जारी करने का आदेश दिया गया। इश्तहार जारी किया गया जिसका प्रकाशन तहसील न्यायालय के बोर्ड एवं ग्राम में प्रकाशन किया गया। सिविल न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष के मध्य रास्ते का विवाद का जो सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 5–11–2006 द्वारा समाप्त हो गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण में पक्षकार नहीं था ओर भूमि व्यवस्थापन हेतु उसका कोई आवेदन भी नहीं था इस कारण उसे अपील का अधिकार नहीं था । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1979 आर0 एन0 58 में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है।

6– उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी का प्रकरण कमांक 8/अपील/94–95 में पारित आदेश दिनांक 30–6–95 निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप तहसीलदार चन्देरी का प्रकरण कमांक 9/अ–19/90–91 में पारित आदेश दिनांक 12–6–91 स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर